# बिहार सरकार
# राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

## संकल्प

संख्या–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................

समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–35 मु0/रा0, दिनांक–22.05.2023 से प्राप्त सूचनानुसार श्री अजय कुमार सरकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नारायणपुर, भागलपुर को थानाध्यक्ष, महिला थाना, नवगछिया, भागलपुर के द्वारा प्राथमिकी सं0–20/23, दिनांक–21.05.2023 के अन्तर्गत 376, 354(डी0)/420/506 IPC के तहत गिरफ्तार किये जाने की तिथि–21.05.2023 एवं निलम्बन करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–1127(15) दिनांक–06.06.2023 से निलम्बित किया गया।

2. विभागीय संकल्प सं0–127(15) दिनांक–23.01.2024 द्वारा अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–118/रा0, दिनांक–14.10.2023 द्वारा श्री सरकार के जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दिनांक–29.08.2023 को भागलपुर समाहरणालय, जिला राजस्व शाखा में योगदान समर्पित किये जाने की सूचना के आलोक में श्री सरकार को निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 के उप कंडिका (क), (ग) एवं कंडिका–3 की उप कंडिका–(II) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री सरकार को योगदान की तिथि–29.08.2023 से पुनः निलम्बित किया गया। निलम्बन अवधि में श्री सरकार का मुख्यालय – प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर निर्धारित गया।

3. समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–95(प्र0)/रा0 दिनांक–30.08.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में श्री सरकार से विभागीय पत्रांक–433(15) दिनांक–18.03.2024 द्वारा लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके आलोक में दिनांक–13.05.2024 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया।

4. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–103/रा0 दिनांक–14.09.2025 से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अजय कुमार सरकार को निलम्बन मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अजय कुमार सरकार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नारायणपुर, भागलपुर सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात श्री अजय कुमार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

6. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अलग से संकल्प निर्गत किया जायेगा।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह0/–
**(संजय कुमार सिंह)**
**सरकार के उप सचिव।**

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

ई–मेल

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, भागलपुर/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
**(संजय कुमार सिंह)**
**सरकार के उप सचिव।**

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023–...................... (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

निबंधित

प्रतिलिपि :–श्री अजय कुमार सरकार, निलंबित अंचल अधिकारी, **मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
**(संजय कुमार सिंह)**
**सरकार के उप सचिव।**

ज्ञापांक–**15/आरोप (भागलपुर) 02–59/2023**–....705....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–29/05/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल में**)/अपर सचिव, कनीय प्रभारी प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, कनीय प्रभारी, प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री अजय कुमार सरकार** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

**(संजय कुमार सिंह)**
**सरकार के उप सचिव।**



D:\2026_jiten\Suspension mukt_26\Ajay kr Sarkar (Narayanpur, Bhagalpur).doc